

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

वेज नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग
सेक्टर 31 ए
दिनांक 05.04.2007

फाईल नम्बर:-9-PBC1126/2007-CHA/3365-6P

सेवा में,

वित्तियुक्त एवं सचिव (वन),
पंजाब सरकार, वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग,
लघु सचिवालय, सेक्टर- 9
चण्डीगढ़ ।

विषय:-

Diversion of 8.660 hec of forest land for rehabilitation of Kapurthala-Tarn Taran road from Kapurthala Octroi Post to approach of bridge over river Beas Km 0.00 to 2.00 Kapurthala side, Forest Division Jalandhar & Distt.Kapurthala, Punjab. .

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में संबन्धित नोडल आफिसर पंजाब सरकार के पत्र संख्या FCA-1980/3194/7129 दिनांक 12.10.2006 एवं दिनांक 19.03.2007 का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है।


राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 8.660 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. कम से कम वृक्ष / पौधे कटवाये जायेंगे, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 1392 trees 8371 Small Plants 355 Under Size Poles से अधिक नहीं होगी
3. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Jalandhar-Amritsar Rly line Km 451-468 B/s में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रु 2303560/- (रु तेईस लाख तीन हजार पांच सौ साठ मात्र) की राशि से किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
5. प्रयोक्ता एजेंसी से यह अंडरटेकिंग भी ली जाए कि अगर NPV की दरों में बढ़ोतरी होती है तो अतिरिक्त/अन्तरीय राशि अदा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
6. भारत सरकार पत्र संख्या 5-2/2006-FC दिनांक 20.05.2006 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार NPV तथा दूसरी सभी गिनतियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या CA 1589, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक -11 भूतल सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, फेज-1 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
8. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

Contd...2

मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।

भवदीय


(श्री कृष्ण सहरावत)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

- प्रतिलिपि:-1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब सरकार, 17, बेज बिल्डिंग, सैक्टर 17, चण्डीगढ़ ।
2. निदेशक (FC), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली ।
3. Divisional Forest Officer, Jalandhar at Phillaur, Punjab.
4. The Executive Engineer Const. Division No. 1, PWD, B&R Br. Kapurthala, Punjab.
5. गार्ड फाईल ।

11

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

वेज नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग
सेक्टर 31 ए
दिनांक 05.04.2007

फाईल नम्बर:-9-PBC1127/2006-CHA

13375-79

सेवा में,

वित्तायुक्त एवं सचिव (वन),
पंजाब सरकार, वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग,
लधु सचिवालय, सेक्टर- 9
चण्डीगढ़ ।

विषय:-

Diversion of 8.314 hec of forest land for rehabilitation of Kapurthala-Tran Taran road KM 22.680 to 46.200 Forest Division & Distt. Amritsar, Punjab.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में सम्बन्धित नोडल आफिसर पंजाब सरकार के पत्र संख्या FCA-1980/3194/3129 दिनांक 12.10.2006 एवं दिनांक 15.03.2007 का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है।

राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 8.314 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सड़म प्राधिकारी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. कम से कम वृक्ष / पौधे कटवाये जायेंगे, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 260 trees 55 poles and 4275 plants से अधिक नहीं होगी
3. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Sathiala Batala RD Km 0-10 B/S on 12 hec. and Vadala Distty RD 0-21 B/s में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रु 23,53,441/- (रु तेईस लाख तरेप्पन हजार चार सौ र्दत्कालिस मात्र) की राशि से किया जायेगा।
प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए ।
5. प्रयोक्ता एजेंसी से यह अंडरटेकिंग भी ली जाए कि अगर NPV की दरों में बढ़ोतरी होती है तो अतिरिक्त/अन्तरीय राशि अदा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी ।
6. भारत सरकार पत्र संख्या 5-2/2006-FC दिनांक 20.05.2006 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार NPV तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या CA 1589, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण) , ब्लाक -11 भूतल सी.जी.ओ. काम्पलैक्स , फेज-1 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करायेगी ।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
8. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

Contd...2

मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।

भवदीय



(श्री कृष्ण सहरावत)

वन संरक्षक (केन्द्रीय)

- प्रतिलिपि:-
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब सरकार, 17, बेज बिल्डिंग, सैक्टर 17, चण्डीगढ़ ।
 2. निदेशक (FC), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली ।
 3. Divisional Forest Officer, Amritsar, Punjab.
 4. The Executive Engineer , Const. Division No. 1 PWD B&R, Br. Kapurthala, Punjab.
 5. गार्ड फाईल ।